न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2017

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता/बारां जिला–बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री त्रिलोक पुत्र श्री मॉगीलाल कुमावत पलायथा अन्ता प्रो. मै0 बालाजी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, पलायथा अन्ता जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री विजय कुमार चौहान,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 25.11.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 06.10.2017 को अन्ता से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढ़ाबो/रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 बालाजी रेस्टोरेन्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दल सहित पहुॅचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर BPCL कम्पनी के पाये जिसमें एक प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहॉ रखे हुये थे। इस प्रकार उक्त तीनो 14.2 किग्रा. के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में पाए गये। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री त्रिलोक कुमावत से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	315799	BPCL	14.2	15.7	16.0	0.3
2	283191	BPCL	14.2	15.7	23.2	7.5
3	86083	BPCL	14.2	15.9	28.8	12.9

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री योगेन्द्र पुत्र गोवर्धनलाल प्रतिनिधि मै. अन्ता गैस सर्विस अन्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 20.7 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी

चूल्हे एक प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 24.11.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी रेस्टोरेंट का व्यवसाय करता है। दिनांक 6.10.2017 को व्यवसायिक स्थल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का हीं इस्तेमाल कर रहा था। प्रार्थी का आवास कस्बा पलायथा में मार्ग सकडा होने से घरेलू सिलेण्डर हिन्दुस्तान पेट्रालियम के प्रार्थी के ढ़ाबे पर हीं रखकर जाते है ओर वहॉ से उन सिलेण्डरों का प्रार्थी घर पर भिजवा देता है। उक्त दिनांक को भी घरेलू सिलेण्डर जो जॉच के दौरान जप्त किये गये है, घर भिजवाने के लिये ढ़ाबे पर रखे हुये थे जिनको रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा जप्त कर लिया है। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में इस्तेमाल नहीं किया है। रसद विभाग ने जबरन जप्त किये है।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 06.10.2017 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै. बालाजी रेस्पोडेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक गैस चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो का चुल्हे से जुडे होने की बात लिखी है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो को कभी भी व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया गया है। उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिये है। उसका घर ग्राम पलायथा में है, घर का रास्ता काफी सकडा होने से वाहन घर पर नहीं पहुॅच पाने है। इसलिये गैस

ऐजेन्सी वाले हॉम डिलेवरी उसके दुकान पर हीं कर देते है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त गैस सिलेण्डरों को घर पर पहूँचा देता है। इसी उद्धेश्य हेतु गैस सिलेण्डर उसके रेस्टोरेंट में रखे हुये थे। किन्तु रसद विभाग से उसकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठी रिपोर्ट तैयार कर, केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवासियक उपयोग हेतु दुरूपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 3 मय गैस एवं भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 बालाजी रेस्टोरेंट राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ता पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व भट्टी एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अन्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय 20.7 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.12.09 10:14:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: